भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3039

जिसका उत्तर 19 मार्च, 2025 को दिया जाना है

कोयला खनन विकास और उत्पादन समझौते

3039. श्री कृपानाथ मल्लाहः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मच्छकटा, कुडनाली लुबरी और सखीगोपाल-बी काकुरही कोयला खानों के लिए हाल ही में निष्पादित कोयला खनन विकास और उत्पादन समझौतों के संभावित आर्थिक प्रभाव क्या हैं; और

(ख) ये समझौते कोयला क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के सरकार के लक्ष्य में किस प्रकार योगदान करते हैं?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) : दिनांक 05.09.2024 को मच्छकटा (संशोधित), कुडनाली लुबरी और सखीगोपाल-बी काकुरही कोयला खानों को क्रमशः एनएलसी इंडिया लिमिटेड, गुजरात खनिज विकास निगम लिमिटेड (जीएमडीसी) और तमिलनाडु उत्पादन और वितरण निगम (टीएएनजीईडीसीओ) को सफलतापूर्वक आवंटित किया गया है। कुडनाली लुबरी और सखीगोपाल-बी काकुरही आंशिक रूप से अन्वेषित ब्लॉक हैं, जबकि मच्छकटा (संशोधित) कोयला ब्लॉक 1377 मि.ट. और 30 एमटीपीए के पीआरसी के भंडार के साथ पूरी तरह से अन्वेषित किया गया है, जिससे ~ 2,991 करोड़ रुपये का वार्षिक राजस्व प्राप्त होने की अपेक्षा है और इसके प्रचालन पर ~ 4,500 करोड़ रुपये का अनुमानित निवेश होगा।

(ख) : मच्छकटा (संशोधित) कोयला खान की पीक-रेटेड क्षमता 30 एमटीपीए है जबकि अन्य दो खानें आंशिक रूप से अन्वेषित कोयला खानें हैं। एक बार प्रचालनात्मक होने के बाद, इन खानों से देश में कोयले के आयात में कमी आने की आशा है और इस प्रकार इन्हें घरेलू रूप से उत्पादित कोयले के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा।

****